

कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम
शैक्षणिक संस्थान समिति, जशपुर (छ.ग.)

—:: प्रेष विज्ञप्ति ::—

क्रमांक/एकलव्य/आ.जा.क./2019-20/ 1928

जशपुर, दिनांक :-18-11-2019

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु निम्नानुसार अतिथि शिक्षक नियुक्त किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 30.11.2019 तक निर्धारित प्रपत्र में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत आवेदन पत्र कोई विचार नहीं किया जायेगा। अतिथि शिक्षक नियुक्त किये जाने हेतु विषय, योग्यता, मानदेय एवं शर्त निम्नलिखित है।

क्र.	विद्यालय का नाम	विषय	संख्या	योग्यता
1.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सत्रा, जिला- जशपुर	अंग्रेजी	1	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ संबंधित विषय में स्नातक एवं बी.एड की उपाधि
		संगीत	1	
		कला	1	
		संस्कृत	1	
2.	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय घोलेंग (शास.अ.ज.जा. बालक छात्रावास आरा में संचालित)	अंग्रेजी	1	
		संस्कृत	1	
		गणित/विज्ञान	1	

अतिथि शिक्षक नियुक्त किये जाने मापदण्ड :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगा।
2. यह नियुक्ति शैक्षणिक सत्र 2019-20 तक ही होगा।
3. अभ्यर्थी छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जशपुर जिले के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दिया जायेगा।
4. स्नातक में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदक का चयन किया जायेगा।
5. नियुक्ति में किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा।


मानदेय भुगतान :-

1. अतिथि के रूप में नियुक्त शिक्षकों को 180/- रुपये प्रति कालखण्ड अथवा 18000/- मासिक, जो कम हो भुगतान किया जायेगा।

अन्य शर्तें :-

1. अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है, अतः किसी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति/पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेंगे, अपितु चयनित होने के उपरान्त संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण कराने के औपचारिक निर्देश दिये जायेंगे।
2. शाला में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमित शिक्षक के पदभार ग्रहण करने तक प्रभावी होगी।
3. अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक व्यवस्था कभी भी जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जशपुर द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
4. अतिथि शिक्षकों की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेंगे।
5. अतिथि शिक्षक के विद्यालय चयन का अधिकारी जिला स्तरीय समिति के पास होगा।
6. आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत लिफाफे के उपर आवेदित विषय का उल्लेख किया जाना होगा।

(अध्यक्ष/कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


सहायक आयुक्त/सचिव,
जिला स्तरीय छ.ग. आदिम जाति कल्याण
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
जिला- जशपुर (छ.ग.)

—:: अतिथि शिक्षक नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन का प्रारूप ::—

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास
जशपुर (छ.ग.)

अपना
नवीनतम
फोटोग्राफ्स
स्व-प्रामाणित
कर चिपकाएँ।

आवेदित पद का विषय :-

1. आवेदक का नाम
 2. पिता/पति का नाम
 3. वर्तमान पता
 4. स्थाई पता
 5. मोबाईल नम्बर
 6. जन्म तिथि
- (प्रमाणन हेतु हाईस्कूल का अंकसूची संलग्न करें)

7. शैक्षणिक योग्यता :-
(स्नातक/स्नातकोत्तर तथा बी.एड की ही प्रविष्टि करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक/कुल अंक	प्रतिशत	श्रेणी

8. पूर्व अनुभव का विवरण (यदि हो)

क्र.	संस्था का नाम	कार्य का प्रकार	अवधि

हस्ताक्षर

नाम

पता